8476

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 0.6990 hectare of forest land in favour of HPSEB for construction of 33/11KV, 2X6.3MVA Sub Stgation at Tara Devi, within the jurisdiction of Shimla, Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB456/2012 – CHA दिनांक 16-07-2013** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा 0.6990 hectare of forest land in favour of HPSEB for construction of 33/11KV, 2X6.3MVA Sub Stgation at Tara Devi, within the jurisdiction of Shimla, Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष कटवायें जायेंगे जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार **चार सौ पैंसठ** वृक्षों से अधिक नही होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार U-47 Jajhar में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 6,00,495/-**(छः लाख चार सौं पिचानवे मात्र)** की राशि से कुल **1.50** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**
4. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
5. सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम सख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोत्ता एजैंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

S/FCA.

APCCF (FCA) 2037 31/7/13

PCCF 29/7

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated,Shimla-171001 the, 29-7-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt, Shimla, Himachal Pradesh .
6. Sr.Executive Engineer, Shimla Electrical division No. II, HPSEB Ltd, shimla-9 HP.
7. CCF,Shimla /DFO, Shimla, Forest Division & Distt. Shimla ,H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.